शर्तः–

1. प्रस्तावित निर्माण स्वीकृत मानचित्र अनुसार एवं प्रयोजनार्थ किया जाना अनिवार्य है।
2. प्रस्तावित आवासीय भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 के वर्तमान नियमों एवं विशिष्टियों के अनुरूप तथा भूकम्परोधी किया जाना अनिवार्य है।
3. महायोजना में प्रस्तावित भू उपयोग के विरूद्ध यदि नान–कनफारमिंग उपयोग किसी भवन में चल रहा है या वह निर्माण भवन उपविधि/नियम/विनियम के विरूद्ध है तो ऐसी दशा में भी उस भवन में परिवर्तन परिवर्धन तथा मरम्मत कार्य अनुमन्य नही होगा।
4. भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने तथा निर्माण कार्य की समाप्ति की सूचना विकास प्राधिकरण को देना अनिवार्य है तथा प्राधिकरण से कार्य समाप्ति प्रमाण–पत्र तथा आक्यूपेन्सी प्रमाण–पत्र लेना आवश्यक है।
5. इस अनुज्ञा की वैधता की अवधि पाँच वर्ष है तथा इस अवधि में यदि निर्माण पूर्ण नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को पुनः प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य है।
6. भू–स्वामित्व निर्धारण करने का अधिकार प्राधिकरण का नही है अर्थात प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने का अभिप्राय भू–स्वामित्व का निर्धारण करना नही है तथा इस सम्बन्ध में किसी भी विवाद के उत्पन्न होने की दशा में इसका निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
7. प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति यदि प्रार्थी द्वारा सारवान व्ययदेशन (मिसरिप्रजेन्टेशन) या किसी कपट पूर्ण वक्तव्य या सूचना के आधार पर प्राप्त की है तो यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा इस अनुज्ञा के आधार पर किया गया कोई भी कार्य ऐसी अनुज्ञा के बिना किया गया समझा जायेगा अर्थात अबैध होगा।
8. यदि प्रार्थी द्वारा कोई गलत सूचना दी गयी है तो उसके विरूद्ध अन्य कार्यवाही के साथ–साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अन्तर्गत मुकदमा भी चलाया जा सकता है।
9. स्वीकृत मानचित्र की प्रति निर्माण स्थल पर सदैव रखना अनिवार्य है जिसे प्राधिकरण द्वारा अधिकृत अधिकारी निरीक्षण के दौरान देख सकें।
10. प्रस्तावित आच्छादन के अतिरिक्त कोई भी निर्माण किये जाने से पूर्व सभी देय शुल्कों के साथ प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।
11. पानी की निकासी एवं मल के निस्तारण की व्यवस्था समुचित ढंग से कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
12. प्रस्तुत स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर तथा पारित आदेशों (यदि कोई हों) के अधीन रहेगी एवं पक्ष द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. प्रस्तुत अभिलेख/भू–स्वामित्व सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
14. प्रस्तुत स्थल पर शासनादेशानुसार पेड़ लगाना आवेदक को अनिवार्य हैं।
15. आवेदक को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करनी होगी यदि वह स्वयं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नही करता है तो प्राधिकरण पक्ष के व्यय पर कार्य कराकर राजस्व बकाया की भाँति वसूलने के लिए अधिकृत है।
16. सम्बन्धित आर्किटेक्ट/भवन स्वामी की यह जिम्मेदारी होगी कि प्राधिकरण अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्माण का निरीक्षण कराये।
17. निर्माण का उपयोग करने से पूर्व यह अवगत कराना होगा कि स्वीकृति पत्र एवं मानचित्र में जो भी शर्तें अंकित थीं, उनका अनुपालन कर लिया गया है अवगत कराते हुए सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
18. पूर्णता प्रमाण–पत्र अध्यासन से पूर्व प्राप्त करना होगा।
19. निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णतया प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना उसके पूर्ण अथवा किसी अंश का कोई उपयोग नही किया जायेगा।
20. आवेदक को भवन सामग्री अपने प्लाट में ही रखनी होगी।
21. निर्माण के समय स्थल पर आवेदक को मोटे अक्षरों में एक बोर्ड 2x3 फिट पर मानचित्र की छायाप्रति चस्पा कर स्थल के फ्रन्ट पर जो सडक से दिखे, लगाकर अवश्य रखेगें।
22. भवन उपविधि–2008 के परिशिष्ठ–2 उपविधि सं0–2.1.6 के अनुसार विकास कार्य आरम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी।
23. भवन उपविधि–2008 के परिशिष्ठ–3 उपविधि सं0–2.1.8 भू–विन्यास मानचित्र के पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा।
24. ले–आउट प्लान के अर्न्तगत प्रस्तावित ब्लाकों एवं भवनों के निर्माण के समय अग्नि शमन विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति पत्र संख्या–2014/4025/बरेली/208/सी0एफ0ओ0/313 दिनांक 15–10–14 के अनुसार अग्नि सुरक्षा दृष्टि से सुरक्षा उपाय स्थल पर कराने होंगे।
25. कार्यालय उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 पत्र सं–373 नि0 (ब0री0)/बी0डी0ए0–मानचित्र/2014–15 दिनांक 16–10–14 में इंगित सभी शर्तो का पालन करना होगा।
26. प्रदूषण नियन्त्रण विभाग द्वारा जारी संदर्भ संख्या–एफ–52896/सी–8/एन0ओ0सी0/103/8/14 दिनांक 19–12–14 में अंकित सभी शर्तो का स्थल पर पालन करते हुए जल–मल निस्तारण की समुचित व्यवस्था की जिम्मेदारी आवेदकगण की होगी।
27. दिये गये शपथ पत्र दिनांक–16–02–2015 के अनुसार प्लाटों पर निर्मित भवनों से जनित होने वाले मल–जल के शुद्धिकरण हेतु सक्षम क्षमता का सीवेज शुद्धिकरण संयत्र (एस0टी0पी0) की स्थापना का उत्तरदायित्व आपका होगा।
28. दिये गये बन्धक पत्र दिनांक–16–2–2015 के अनुसार आन्तरिक विकास कार्य रूपये–44,96,963.00 के समतुल्य कीमत के रो–हाउसिंग भवन संख्या–ए–38, 39, 40, 41 व 42 (कुल पॉच भवन) प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखे गये हैं।
29. आवेदक द्वारा रखे गये बन्धक भवनों को स्थल पर स्वीकृत मानचित्र व अनापत्तियों में इंगित शर्तो के अनुसार विकास कार्य पूर्ण करने के उपरान्त ही अवमुक्त किया जायेगा।
30. आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित विभागों को हस्तानान्तरित करने का उत्तरदायित्व आवेदकगण का होगा एवं हस्तगत होने तक विकास कार्यो का अनुरक्षण भी आवेदकगण द्वारा ही किया जायेगा।
31. शपथ पत्र दिनांक–16–02–2015 के कथनानुसार मानचित्रों में एरिया चार्ट में दर्शित क्षेत्रफल एवं गणनाओं में अन्तर पाये जाने की दशा में दोनो में न्यूनतम क्षेत्रफल/मॉप ही स्वीकृत मानी जायेगी और किसी संशोधन की दशा में पक्ष को संशोधित मानचित्र नियमानुसार स्वीकृत कराना होगा।
32. मानचित्र पर दर्शायी गयी सर्विसेज के अनुरूप स्थल पर समस्त विकास कार्य एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि का निर्माण कराना होगा।
33. दिये गये शपथ पत्र दिनांक–26–02–2015 के कथनुसार शासनादेशों के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग व वृक्षारोपण की समुचित व्यवस्था आपको स्थल पर स्वंय करानी होगी।
34. दिये गये शपथ पत्र दिनांक–16–2–2015 के कथनानुसार भविष्य में सम्भावित विशिष्ठ अवस्थापना सुविधाओं पर आने वाले समानुपातिक व्यय के भुगतान की जिम्मेदारी आपकी होगी।
35. दिये गये शपथ पत्र दिनांक–16–2–2015 के कथनानुसार आपके द्वारा अपनी कालोनी में जलापूर्ति संबंधी सम्पूर्ण व्यवस्था (जल नालिकाओं को बिछाने कार्य सहित) स्वंय करेगें।
36. मानचित्र पर जलमल निस्तारण एवं आन्तरिक विकास कार्यो हेतु आवश्यक सर्विसेज अंकित करते हुए विकासकर्ता द्वारा ड्राइंग प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार स्थल पर विकास कार्य कराना होगा तथा विद्युत वितरण हेतु पोल एवं तार आपुर्ति का कार्य स्थल पर आवेदकगण द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के मानको के अनुरूप कराना होगा।
37. दिये गये शपथ पत्र दिनांक–16–2–2014 के कथनानुसार श्रम विभाग में कराये गये पंजीकरण संख्या–डी–21002003/2014–15 दिनांक–11–02–2015 के अनुसार सन्निर्माण कर्मकार उपकर धनराशि को जका करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। शासनादेश सं0–2686/आठ–1–11–19 विविध/10 दिनांक 29–08–11 के बिन्दु 7 के क्रम में आवेदकगण द्वारा श्रम विभाग से पंजीकरण कराकर पंजीकरण प्रमाण पत्र मानचित्र निर्गत से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। तदक्रम में आवेदकगण को निर्माण/विकास लागत का एक प्रतिशत की दर से उपकर उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के बैंक खाते में जमा करवाना होगा। तथा सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
38. दिये गये शपथ पत्र दिनांक–16–2–2015 के अनुसार आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण उपरान्त सम्बन्धित विभाग (यथा नगर निगम व विद्युत विभाग) को कालोनी के हस्तान्तरण का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
39. शपथपत्र दिनांक–16–02–2015 के कथनानुसार मानचित्र पर दर्शित सीमांकन को उनके द्वारा स्थल पर की गयी मॉप व सर्वे के अनुसार ही अंकित किया गया है। विकास कार्य के दौरान कोई भी त्रुटि अथवा परिवर्तन पाये जाने पर आवेदक का उत्तर दायित्व होगा।
40. निर्माणकर्ता/विकासकर्ता को निर्माण/विकास कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य स्थल के प्रमुख स्थान पर 2X 3.50 फिट माप का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक होगा जिस पर प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र का समस्त विवरण, साइट इंचार्ज का नाम व मोबाईल नम्बर, निर्माण की प्रकृति का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
41. स्वीकृति पत्र एवं मानचित्र पर अंकित शर्तो का आवेदक द्वारा पालन करना अनिवार्य है, यदि किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अवर अभि0 (signature)

सहा0 अभि0 (signature)